

प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 29.07.2025

*****“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 70/2019 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त रामकिशोर वर्मा पुत्र राजेन्द्र वर्मा निवासी बनकसिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त रामकिशोर वर्मा को धारा- 60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा ।

*****“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में अभियुक्त को 06 माह का कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.07.2025 को ***मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर*** के द्वारा अभियुक्त को 06 माह का कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 1297/2014 धारा 379 भादवि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त मो0 ताहिर पुत्र मो0 हसन अंसारी निवासी मोतीनगर पूर्वी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को स्वेच्छा से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त मो0 ताहिर को धारा 379 भादवि0 के अपराध में 06 माह का कारावास व 5000 रुपये का जुर्माना से दण्डित किया गया, जुर्माना अदा न करने पर 01 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा । अभियुक्त द्वारा जाँच/अन्वेषण में पूर्व में बितायी गयी अवधी को उक्त मुख्य दण्डादेश के साथ मुजरा कर दी जायेगी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 71 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29.07.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 71 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6891 द्वारा मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6891 से थाना महुली क्षेत्रांतर्गत अछिती से इवेंट सं0 210664 से कालर सचिन ग्राम अछिती थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा घरेलू विवाद/मारपीट में स्वयं के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु प्राईवेट वाहन की सहायता से सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे0का0 श्रीप्रकाश, आरक्षी शेषनाथ गौड़, हो0चा0 अनिल

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार*

जनपद में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 282/2025 धारा 65(1)/352/351(3) BNS व ¾ पाक्सो एक्ट थाना बखिरा संतकबीरनगर के मामले में वाँछित अभियुक्त नाम पता रमेश पुत्र पतिराज निवासी तिघरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 29.07.2025 को हरदी मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो वादी द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 29.07.2025 को प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरी नाबालिक पुत्री जो दिनांक 28.07.2025 को समय 4 बजे भोर में शौच के लिए जा रही थी कि अभिक्त रमेश पुत्र पतिराज द्वारा मेरी पुत्री को जबरजस्ती अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। अभियोग पंजीकृत कर थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 29.07.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, हे0का0 मनोज कुमार यादव, का0 प्रमोद शर्मा।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रधान पुत्र के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में एक और वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा *श्री राकेश कुमार सिंह* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 273/2025 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बखिरा में वांछित अभियुक्त नाम पता अनुराग सिंह उर्फ डान पुत्र विजय सिंह उर्फ रिखई साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर को आज दिनांक 29.07.2025 को बौर व्यास चौराहा नहर पुलिया सिहटीकर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 16.07.2025 को वादी श्री देवेन्द्र यादव पुत्र विद्याधर यादव निवासी करैली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 16.07.2025 को जब वादी तिघरा ब्लाक पर थे उसी समय उक्त अभियुक्तों ने अपने साथियों के साथ मिलकर ने वादी को गाली दिया व मारा पीटा तथा जान से मारने की नीयत से पिस्टल से वादी के उपर फायर किया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 273/2025 धारा 191(2), 191(3), 109, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। उक्त घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों 01. शिवम पाठक उर्फ बन्टी पाठक पुत्र सतीश चन्द्र पाठक उर्फ मोनू निवासी सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर 02. अमन पाल पुत्र रामानन्द पाल निवासी लखनापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 27.07.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा जा चुका है। आज दिनांक 29.07.2025 को उक्त प्रकरण से संबंधित वांछित अभियुक्त अनुराग सिंह उर्फ डान पुत्र विजय सिंह उर्फ रिखई साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त नाम पता- अनुराग सिंह उर्फ डान पुत्र विजय सिंह उर्फ रिखई साकिन सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संत कबीर नगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह, हे0का0 अरविन्द चौहान, का0 संजय यादव।

****“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.07.2025 को *मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर* के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

विवरण:-

मु0अ0सं0 4583/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त विपिन कुमार मद्देशिया पुत्र घनश्याम मद्देशिया निवासी चौक बाजार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा- 60 आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आबकारी अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.07.2025 को *मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एफटीसी/एसीजेएम संतकबीरनगर* के द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 226/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त इन्दल पुत्र सुक्खु केवट निवासी अक्वल केवटलिया थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध के लिए न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 03 माह का सादा कारावास से भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 8000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविकशन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 29.07.2025 को *मा0 न्या0 सीजे(एसडी) एसीजेएम संतकबीरनगर* के द्वारा 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

मु0अ0सं0 816/2008 धारा 380 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01-हैदर अली पुत्र अतीमुल्लाह, 02- लतीफ पुत्र सुभान निवासीगण कर्री थाना महली जनपद संतकबीरनगरको जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तों को धारा 380 भा0द0वि0 के मामले में जेल में बितायी गयी अवधि व 4000-4000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह का साधारण कारावास से भुगतना होगा । जुर्माने की धनराशि में से 3500-3500 /रु0 पीड़ित को बतौर क्षतिपूर्ति/प्रतिकर देय होगी ।